

At SMS, on 11/01/16

## आदेश

उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष के अन्तर्गत गठित जिला संचालन समिति, अमेठी, दिनांक 30.01.2016 द्वारा श्रीमती सुषमा, निवासी ग्राम अशराफाबाद, पोस्ट इन्हौना, विकास खण्ड सिंहपुर, जिला अमेठी जो PUJ Obstruction बीमारी से पीड़ित हैं, को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने की प्रबल संस्तुति की गयी है।

उक्त प्रकरण में उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली, 2015 के संलग्नक-2 बिन्दु संख्या-1 के अनुसार जिसमें लाभार्थियों की अर्हता का उल्लेख है, इसके अंतिम बिंदु जिसमें राज्य अनुश्रवण समिति द्वारा निर्धारित पात्रता की श्रेणी से आच्छादित लाभार्थियों की चिकित्सीय सुविधा हेतु प्राविधान है, के प्राविधान लागू होते हैं।

उक्त के दृष्टिगत नियमावली में दी गयी व्यवस्था के क्रम में मुख्य सचिव/अध्यक्ष, राज्य अनुश्रवण समिति द्वारा पीड़िता श्रीमती सुषमा, निवासी ग्राम अशराफाबाद, पोस्ट इन्हौना, विकास खण्ड सिंहपुर, जिला अमेठी के चिकित्सीय सहायता हेतु एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ को रू0 80,000/- (रुपया अस्सी हजार मात्र) के भुगतान की स्वीकृति दी गयी है। उक्त भुगतान निम्न विवरण के अनुसार आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किया जायेगा—

खाता धारक का नाम — डायरेक्टर एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0 पी0ई0डी0 एकाउन्ट

बैंक का नाम एवं शाखा — एस0बी0आई0, लखनऊ

खाता संख्या — 10095237548

आई0एफ0एस0सी0 कोड — SBIN0007789

इस निमित्त होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण -02-समाज कल्याण-आयोजनागत-103 महिला कल्याण-10-उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष-42 अन्य के अन्तर्गत किया जायेगा।

(राम केवल)

निदेशक/विहित प्राधिकारी

उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष।

उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष, योजना भवन, उ0प्र0 शासन।

पत्रांक (1)491/एफ0एम0यू0/महिला सम्मान कोष/2015-16

लखनऊ: दिनांक : 08 फरवरी, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी, एफ0एम0यू0।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला संचालन समिति, उ0प्र0 राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन, लखीमपुर खीरी।
5. सचिव, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ।
6. सचिव, जनपद विधिक सेवा प्राधिकरण, लखीमपुर खीरी।
7. जिला परिवीक्षा अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला संचालन समिति, उ0प्र0 राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन, लखीमपुर खीरी।
8. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।

(राम केवल)

निदेशक/विहित प्राधिकारी

उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष।

प्रेषक,

निदेशक,  
महिला कल्याण विभाग,  
उ0प्र0।

सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,  
जिला संचालन समिति,  
उ0प्र0 रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष,  
अमेठी।

लखनऊ : दिनांक 10 फरवरी, 2016

विषय : श्रीमती सुषमा, पत्नी श्री राम किशोर, उम्र 27 वर्ष, निवासिनी ग्राम अशरफाबाद, पोस्ट इन्हौना, विकास खण्ड सिंहपुर, जनपद अमेठी के आपरेशन हेतु उ0प्र0 रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष से रू0 80,000.00 (रूपया अस्सी हजार मात्र) एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ को स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में।


महोदय,

अवगत कराना है कि एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में श्रीमती सुषमा, पत्नी श्री राम किशोर, उम्र 27 वर्ष, निवासिनी ग्राम अशरफाबाद, पोस्ट इन्हौना, विकास खण्ड सिंहपुर, जनपद अमेठी के दाहिनी किडनी में PUI Obstruction के आपरेशन के लिए उ0प्र0 रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष से आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु जिला संचालन समिति, अमेठी की संस्तुति दिनांक 30.01.2016, ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुयी है।

2. प्रश्नगत प्रकरण में पीड़िता के आपरेशन पर व्यय का आकलन एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ द्वारा किया गया है, जिसके आधार पर रू0 80,000/- (रूपया अस्सी हजार मात्र) की धनराशि उ0प्र0 रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष द्वारा प्रदान किए जाने की स्वीकृति पत्र संख्या 1143, दिनांक 08.02.2016 के माध्यम से प्रदान की गयी है।

यह धनराशि "Director SGPGIMS PED Account" के बैंक खाता संख्या 10095237548, आई0एफ0एस0सी0 कोड SBIN0007789, ब्रांच कोड 0007789, धनराशि रू0 80,000/- (रूपया अस्सी हजार मात्र) आर0टी0जी0एस0 संख्या 601667404S009022016, दिनांक 09.02.2016 के माध्यम से अंतरित की जा चुकी है। इस धनराशि का व्यय श्रीमती सुषमा, जिनका सी0आर0 नं0- 2015934938 है, के उपचार हेतु किया जायेगा।


पीड़िता के इलाज हेतु आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

भवदीय,  
  
(राम केवल) 10/2  
निदेशक।

संख्या - /एफ0एम0यू0/2015-16 , तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, महिला कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि श्रीमती सुषमा (सी0आर0 नं0- 2015934938), पत्नी श्री राम किशोर, उम्र 27 वर्ष, निवासिनी ग्राम अशरफाबाद, पोस्ट इन्हौना, विकास खण्ड सिंहपुर, जनपद अमेठी के चिकित्सा उपचार हेतु उपरोक्त धनराशि का व्यय करने का कष्ट करें।
3. जिला प्रोबेशन अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला संचालन समिति, जनपद अमेठी।
4. महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।
5. श्रीमती सुषमा (सी0आर0 नं0- 2015934938), पत्नी श्री राम किशोर, उम्र 27 वर्ष, निवासिनी ग्राम अशरफाबाद, पोस्ट इन्हौना, विकास खण्ड सिंहपुर, जनपद अमेठी।

  
(राम केवल )  
निदेशक।